

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2025/158524/MTH/MATHURA/3940/CFO**दिनांक : **22-05-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S G S INTERNATIONAL SCHOOL** पता **KHASRA 462 KHATA 221,VILLAGE BARAETH BANGER MANT,MATHURA** तहसील - **MANT** प्लाट एरिया **8100 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3094** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
S G S INTERNATIONAL SCHOOL	2	0	7.32 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S G S INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-05-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BALBIHARI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-05-2025** से **23-05-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S G S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S G S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : In view of the recommendation report of fsso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, शासनादेश सं०-18/छः-पु०-8-2022/905(34)2016 टीओसीओ गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा, भवन में अधिस्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

NARENDRA PRATAP SINGH

CF76D699D252E9CEAD985F061E781FD310933742

24-05-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **24-05-2025**स्थान : **MATHURA**

Principal

Manager

S.G.S. International School
Baroeth, Mathura (U.P.)

SGS International School
Baroeth, Mathura (U.P.)

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.